

प्रेषक,

माध्यम-हिन्दी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रेष्य,

प्रबन्धक,
सी0आर0एस0 पब्लिक स्कूल
पावीसादकपुर लोनी गाजियाबाद।

पत्रांक/मान्यता-शि0स0/ 12490-91

/2018-19

दिनांक: 28-11-2018

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2018 के और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से सी0आर0एस0 पब्लिक स्कूल पावीसादकपुर लोनी गाजियाबाद को कक्षा-01 से कक्षा-05 तक हेतु दिनांक 01.04.2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 03.11.2018 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति अनुमोदन के आधार पर औपबन्धिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ:-

1. मान्यता के लिये स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गों और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. प्रस्ताव-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण, धर्म, जाति, अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा-
(एक) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
(दो) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
(पांच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
(छः) अध्यापकों की भारी अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

संलग्नक-अनुलग्नक तीन

विद्यालयों के संचालन हेतु अन्य शर्तें निम्नवत् होगी-

प्री-प्राइमरी से कक्षा-8 तक के शिक्षण के लिये उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की धारा-6 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक/अध्यापिकाओं का उपलब्ध होना आवश्यक गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से सम्बन्धित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिये।

विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चौकीदार, आया एवं सफाई कर्मचारी की अंशकालिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है।

विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परीक्षाकाल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। प्रबन्धाधिकरण के समक्ष अधिकारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों (प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के मध्य विधिमान्य सेवा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा और उसकी एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिये पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है-

1- शिक्षण शुल्क 2- मंहगाई शुल्क 3- विकास शुल्क 4- बिजली पानी आदि 5- प्रस्तकालय एवं वाचनालय क्रीडा शुल्क 6- विज्ञान शुल्क 7- श्रव्य शुल्क 8- क्रीडा शुल्क 9- परीक्षा/मुल्यांकन 10- विद्यालय समारोह/उत्सव 11- विशेष विषयों की शिक्षा- कम्प्यूटर/संगीत आदि।

विद्यालय स्वीकृत सेवा शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

जहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर यह अभिलिखित कारणों से संतुष्ट है कि मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई तो विद्यालय को एक माह के अंदर स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है।

उक्त मानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
ग्राजियाबाद।

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद ।

सेवा में

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
सी0आर0एस0सीनियर सैकेन्डी स्कूल,
पावी सादकपुर लोनी गाजियाबाद

पत्रांक/मान्यता/ 1523-27 /2012-13

दिनांक 1-5-2012

विषय:- कक्षा-6 से 8 तक की कक्षाएँ संचालित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 27-4-2012 के साथ संलग्न प्रबन्धकीय प्रस्ताव दिनांक 22-4-12 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या/912/15-11-1(6)/2011 दिनांक 2 जून 2011 एवं शासनादेश संख्या-1139/15-7-2011-1(06)/2011 दिनांक 15 जुलाई 2011 एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की विज्ञापित दिनांक 26 जुलाई 2011 तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्रांक-परिषद-9/मान्यता/427 दिनांक 12 सितम्बर 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपको कक्षा-6 से 8 तक की कक्षाएँ संचालित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है ।

- 1- उपरोक्त कक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद से पूर्व में प्रदत्त हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट की मान्यता का अंग मानी जायेगी ।
- 2- कक्षा-6 से 8 तक की कक्षाएँ संचालित किये जाने पर शिक्षकों की व्यवस्था/फर्नीचर आदि पर किये जाने वाले व्ययभार को प्रबन्ध तंत्र द्वारा निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा, इस हेतु किसी प्रकार का अनुदान शासन/विभाग द्वारा देय नहीं होगा ।
- 3- शासनादेश दिनांक 02 जून में निहित विनियम पांच (18) (अ) (ग) के अनुसार विद्यालय पर बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के प्राविधान लागू नहीं होंगे अपितु इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के प्राविधान लागू होंगे ।
- 4- हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट तथा अतिरिक्त वर्गों की मान्यता के अतिरिक्त तीन कक्षाएँ एवं एक प्रयोगशाला की प्रथम से व्यवस्था करनी होगी ।
- 3- प्राइमरी कक्षाएँ उक्त विद्यालय का अंग नहीं होंगी ।
- 4- विद्यालय प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध पत्राज्ञा में यदि कोई तथ्य छिपाया गया तो उसके उजगार होने पर प्रदत्त अनुमति स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

उक्त के सम्बन्ध में भविष्य में यदि उपरोक्त के अतिरिक्त कोई शासनादेश/विभागीय आदेश/निर्देश निर्गत होता है तो वह मान्य होगा ।

भवदीय

(डा0के0एल0वर्मा)

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद

पृ0सं0/परीक्षा/

/2012-13

दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

- 1-सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
- 2-संयुक्त शिक्षा निदेशक (मा0) प्रथम मण्डल मेरठ ।
- 3-क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ ।
- 4-उप शिक्षा निदेशक (मा0) प्रथम मण्डल मेरठ ।

(डा0के0एल0वर्मा)

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद ।

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,
सी०आर०एस०हा०से०स्कूल,
पावी सादकपुर, लोनी,
गाजियाबाद।

पत्रांक : मा०शि०प० / मान्यता / मे० /

531

दिनांक

30/7/2011

विषय : सीधे/हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था सी०आर०एस०हा०से०स्कूल, पावी सादकपुर, लोनी, गाजियाबाद को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2013 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :-

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षा-9 की कक्षाएँ संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

क०प०उ०

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद ।

सेवा में,

✓ प्रबन्धक/प्रधानाचार्या,
सी0आर0एस0सीनियर सैकेन्ड्री स्कूल,
सादकपुर पावी लोनी-गाजियाबाद ।

पत्रांक/परीक्षा/ **मैग**

/2018-19

दिनांक **8-8-18**

विषय:- कक्षा-9 व 10 में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके विद्यालय/कार्यालय के पत्र दिनांक 02-08-2018 के साथ संलग्न प्रबन्धकीय प्रस्ताव दिनांक 27-07-2018 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या/1028/15-7-1(75)/2010 दिनांक 9 जून 2010 तथा संख्या 1271/15-7-10-01 (199)/2009 दिनांक 9 जून 2010 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपके विद्यालय को कक्षा 9-10 में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण कार्य कराने की अनुमति निम्न प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है ।

- 1- उपरोक्त कक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद से पूर्व में प्रदत्त हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट की मान्यता का अंग मानी जायेगी ।
- 2- कक्षा-9 व 10 में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण कार्य कराने पर शिक्षकों/फर्नीचर/कक्षाओं की अतिरिक्त व्यवस्था पर होने वाले व्ययभार को प्रबन्धतंत्र द्वारा निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा। इस हेतु किसी प्रकार का अनुदान शासन/विभाग द्वारा देय नहीं होगा ।
- 3- प्राइमरी कक्षाएँ उक्त विद्यालय का अंग नहीं होगी ।
- 4- विद्यालय प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध पत्राज्ञा में यदि कोई तथ्य छिपाया गया तो उसके उजगार होने पर प्रदत्त अनुमति स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

उक्त के सम्बन्ध में भविष्य में यदि उपरोक्त के अतिरिक्त कोई शासनादेश/विभागीय आदेश/निर्देश निर्गत होता है तो वह मान्य होगा ।

भवदीय

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद ।

पृ0सं0परीक्षा/

/2018-19

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
- 2- संयुक्त शिक्षा निदेशक (मा0) प्रथम मण्डल मेरठ ।
- 3- क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ ।
- 4- उप शिक्षा निदेशक (मा0) प्रथम मण्डल मेरठ ।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद ।

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,
सी०आर०एस०हा०से०स्कूल,
पावी सादकपुर, लोनी,
गाजियाबाद।

पत्रांक : आई०वी०मान्यता /

532

दिनांक

30/7/2011

विषय : इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष 2013 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा 7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।
- (5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षाएँ संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

कृ०प०उ०

विशेष प्रतिबन्ध

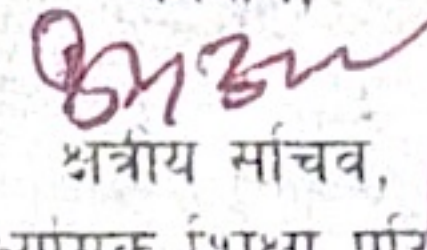
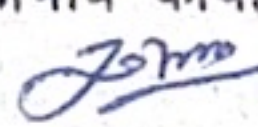
(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा पिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ख) 5000/- = रु० इण्टर/साहित्य वर्ग नवीन हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति विद्यालय के नाम जमा तथा निरीक्षक के पद नाम बन्धक कराकर जमा प्रमाणपत्र की प्रति निरीक्षक से प्रमाणित कराकर प्रेषित किया जाय। यह धनराशि प्राप्ति/सुरक्षित कोष के अतिरिक्त जमा किया जाएगा।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	आनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर/साहित्यिक नवीन	हिन्दी	अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान नागरिकशास्त्र

टिप्पणी— उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पाठ्य 6 (छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

 क्षेत्रीय सांचव,
 माध्यमिक शिक्षा पारंपद,
 क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

 25.9.03

पृष्ठांकन संख्या : आई०वी० मान्यता/

दिनांक

200

उपर्युक्त की प्रार्थनाप निम्नलिखित आधिकारिका का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त :-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, - गांजियाबाद -
- 2- संभागाध्यक्ष सयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ -
- 3- ~~संभागाध्यक्ष/उप/शिक्षा/निदेशक, /~~
- 4- इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
- 5- सांचव, माध्यमिक शिक्षा पारंपद, मुख्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सांचव,
 माध्यमिक शिक्षा पारंपद,
 क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

गोपनीय/पी० (आर०आर०) 135-मा० शि० प०-21-9-2002-10,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।